राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–998/2017............................ जिला ....नागौर..

उनवान . मैसर्स वी.के.एजेन्सी, नागौर

बनाम

1. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत–मेडता सिटी नागौर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारी अहकाम जो इ हुक्म की तामी में जारी हुए
	एकलपीठ श्री के. एल. जैन, सदस्य	
02/08/2017	व्यवहारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि श्री ओ.पी.माहेश्वरी एवं विभागीय पैराकार श्री जमील जई उपस्थित। उभयपक्षीय बहस सुनी गई। व्यवसायी की ओर से श्री ओ.पी.माहेश्वरी, अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि व्यवसायी की पूर्व में जांच पर ''सिगरेट'' बिना बिल/इनवाईस के पाये जाने पर अपीलार्थी ने अभियोग का प्रशमन करवाते हुये कर एवं शास्ति राजकोष में जमा करवा दी थी एवं उसी राशि की बिक्री पर किये गये करारोपण पर जमा कराये गये कर का समायोजन नहीं किया है अपीलार्थी द्वारा जमा करवाई गई प्रशमन राशि का समायोजन निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं दिये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से बकाया मांग राशि की वसूली कार्यवाही पर आगामी सुनवाई तक इस शर्त के साथ रोक लगाई जाती है कि अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके संतोष के अनुसार 15 दिन में जमानत पेश करेगें। अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी होगा। रेकार्ड तलब किया जावें। पत्रावली दिनांक 26.09.2017 को एकलपीठ के समक्ष पेश की जावें। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	